।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 372 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 25/07/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः— जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः— आपका पत्र सं0 1008/10 एल0ए0 दिनांक 21.05.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा चाही गयी इस वन प्रभाग से सम्बन्धित सूचना आपके पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा हैः—

क्र.सं.	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना।	आख्या
1.	**बिन्दु सं0—01** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 FC/11—43/2021—एफ0सी0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओ का उल्लेख किया गया हैः—	
A	In repsect of linear projects the stiuplated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministrys guideline date 08.06.2022will be proportionate to the externet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	उपरोक्त दिये गये दिशानिर्देशो के अनुपालन में वन्यजीवो प्रबन्ध एवं मृदा जल संरक्षण प्रबन्ध योजना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट।। के Additional information में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न—1)
B	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the e competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited into the CAMPA account.	
2-	**बिन्दु सं0—2** प्रश्नगत प्रकरण गैर स्थल विशिष्ट की श्रेणी (Non Site Specific) के अन्तर्गत होने की दशा में कृपया सक्षम स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में justification भी पोर्टल में अपलोड किया जाय।	उक्त प्रकरण Non Site Specific श्रेणी में नही आता है। Diversion for non-site specific projects:- A large number or proposals for diversion of forest land for non-site specific projects like industries, construction residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are received by the Central Government. Attention is drawn to item 1 (iv) and 8 of the From "A" in which the proposal is to be submitted by the State Government. In these columns, justification of locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reason for their rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification of locating non site-specific projects on forest land. Therefore, the State Government should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its in - escapability for locating the projects in forest area.

2	**बिन्दु संख्या 4–** प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकि एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरिकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन पार्ट–।। में यथास्थान अपलोड की जाए।	उक्त प्रस्ताव में मक डम्पिंग स्थल नाप भूमि में चयनित की गयी है, नाप भूमि धरो की अनुमति के बिना वृक्षारोपण किया जाना संभव नही है। प्रस्तावक विभाग द्वारा नाप भूमि में चयनित मक डम्पिंग स्थलो का स्थिरीकरण करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा। नये SIR रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	**बिन्दु संख्या 11** पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट(NEERI) द्वारा विकसित जैव उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	**बिन्दु संख्या 12** मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ो के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त सूचना आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त संलग्नक एवं बिन्दु सं0 3,05,07,08,एवं 09 से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन पार्ट । में अपलोड कर सूचना बिन्दुवार इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये। ताकि प्रकरण को उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।